[redacted]

कार्यालय नगर पालिका परिषद मंदिर हसौद, जिला – रायपुर (छ.ग.)

ई निविदा सूचना कमांक ....59........, दिनांक 17.06.2026

–: नियम एवं शर्तें :–

01 निर्धारित समय–सीमा में निम्नलिखित स्वप्रमाणित दस्तावेज को आनलाईन अपलोड करना सुनिश्चित करेगें :–

(a) एकीकृत पंजीयन प्रणाली से सक्षम श्रेणी में पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति। साझेदारी फर्म होने की दशा में पार्टनरशिप डीड की सत्य प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

(b) पैन कार्ड की छायाप्रति, जी.एस.टी. पंजीयन की छायाप्रति ।

(c) कार्य की लागत राशि का 15 प्रतिशत राशि का बैक सालवेन्सी की छायाप्रति ।

(d) इनकम टैक्स रिटर्न की छायाप्रति (विगत 03 वर्ष 2023–24, 2024–25, 2025–26 का)

(e) चालू कार्यो की सूची स्वप्रमाणित।

(f) शासन दिशा–निर्देशो के अनुसार राशि रू. 20.00 लाख से अधिक लागत के कार्यो में डिप्लोमा इंजीनियर तथा राशि रू. 1.00 करोड से अधिक लागत के कार्यो में स्नातक इंजीनियर सुपरविजन हेतु नियुक्त/नियोजित इंजीनियर का सहमति पत्र।

(g) विभाग/संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं होने का रू. 100.00 के नॉनज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र ।

(h) मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत मंदिर हसौद के नाम से निर्धारित मूल्य की अमानत राशि का एफ.डी.आर. की मूल प्रति एवं निर्धारित निविदा प्रपत्र शुल्क की डी.डी. की मूलप्रति ।

02 कंडिका क्रं. 01 के (a) से (e) तक के दस्तावेज स्वप्रमाणित एवं (f) से (h) की मूल प्रति बंद लिफाफे में रजिस्टर्ड डाक से निर्धारित तिथि तक प्राप्त होने पर टेकनिकल बिड खोला जायेगा । टेकनिकल बिड में वांछित दस्तावेज अनुसार पात्रता होने पर फायनेशियल बिड खोली जायेगी ।

03 पुराने एफ.डी.आर./टी.डी.आर. एवं पूर्व में जमा धरोहर राशि का एफ.डी.आर./टी.डी.आर. नहीं मान्य किया जावेगा और नहीं समायोजन किया जायेगा।

04 प्रत्येक रनिंग बिल से शासन के निर्देश एवं मापदण्ड अनुसार कटौती की जावेगी।

05 दर समस्त कर जैसे – आयकर, जी.एस.टी. रॉयल्टी इत्यादि सहित होगी । प्रतिशत दर के अतिरिक्त कोई अन्य प्रभार का भुगतान नही किया जायेगा तथा प्रत्येक रनिंग बिल से शासन के निर्देश एवं मापदण्ड अनुसार कटौती की जायेगी ।

06 सशर्त निविदाएं मान्य नही की जावेगी।

07 निविदा में किसी भी सुस्पष्ट भाग अथवा निविदा में संशोधन/स्थगन का अधिकार सक्षम अधिकारी का होगा।

08 निविदाकार द्वारा प्रस्तुत दर स्वीकृत होने पर ठेकेदार के रूप में संदर्भित विहित प्रारूप में प्राधिकारी द्वारा उसकी निविदा स्वीकार किए जाने की सूचना दिनांक से 14 दिवस के भीतर अनुबंध निष्पादन करेगा। उसमें विफल रहने का परिणाम अग्रिम धन का राजसात एवं निविदा निरस्ती के रूप में होगा।

09 निविदा सूचना पत्र की सभी शर्तें पंजीकृत ठेकेदार पर विहित प्रारूप में संविदा की सभी के अलावा बंधनकारी होगी।

10 निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

11 किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को बगैर कोई कारण बतायें निरस्त करने का एवं कार्य की लागत राशि से कम कार्य कराये जाने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा । जिसकी किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान नही किया जावेगा ।

12 समस्त सामाग्रीयों के परिवहन की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

13 ठेकेदार के बिल से 05 प्रतिशत की राशि सुरक्षानिधि के रूप में रोकी जावेगी, जिसका नियमानुसार भुगतान किया जावेगा ।

14 निविदा दर एसओआर से 10 प्रतिशत कम से अधिक होने की दशा में अंतर की राशि निविदा स्वीकृति की तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में निविदा निरस्त करते हुए ठेकेदार को आगामी 01 वर्ष के लिए निकाय में किसी भी प्रकार के निविदा में भाग लेने से वंचित करने की कार्यवाही की जावेगी।

15 कार्य के चल देयक में कुल देयक का 85 प्रतिशत से अधिक राशि का भुगतान नही किया जावेगा।

16 यदि किसी अपरिहार्य स्थिति में निविदा प्राप्ति दिनांक को अवकाश घोषित होता है तो आगामी कार्य दिवस का तदानुसार निविदा प्राप्ति माना जावेगा।

17 निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में अनुबंध अनुसार पेनाल्टी/कार्यवाही की जायेगी।

18 कार्य स्थल में विवाद होने की स्थिति में/अपरिहार्य कारणो से कार्य निरस्त होने पर निविदा निरस्त करते हुए निविदा प्रपत्र के मूल्य के अलावा अन्य जमा करायी गयी राशि वापस करते हुए अनुबंध समाप्त कर दिया जावेगा । ऐसी स्थिति में कोई क्षतिपूर्ति राशि देय नही होगी ।

19 किसी भी निविदाकार द्वारा निविदा प्रस्तुत करने पर यह माना जावेगा कि वे निविदा से संबंधित समस्त नियम एवं शर्तो का एवं स्थल अवलोकन कर लिया गया है तथा उन्हे समस्त नियम शर्ते मान्य हैं।

20 केन्द्र शासन/राज्य शासन के विभिन्न विभाग जैसे – आयकर विभाग, जी.एस.टी., खनिज विभाग, श्रम विभाग एवं अन्य विभाग के द्वारा जारी निर्देशो/आदेशो का पालन की जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी।

21 निविदा राशि का कार्य संपादित नही कराने में कोई क्षतिपूर्ति देय नही होगा ।

22 कार्य प्रारंभ करने के पूर्व फोटो उपलब्ध कराना ठेकेदार का दायित्व होगा । कार्यादेश जारी होने के बाद उप अभियंता से ले आउट प्राप्त कर कार्य प्रारंभ किया जायेगा ।

23 दो या दो से अधिक संबंधित व्यक्ति जो एक ही प्रोपाराईटर अथवा भागीदार के रूप में हितबध्द है, समान कार्य के निष्पादन के लिए निविदा प्रस्तुत नही कर सकेंगे। कार्यादेश जारी होने के बाद इस आश्य की जानकारी प्राप्त होने की स्थिति में भुगतान स्थगित करते हुए सक्षम प्राधिकारी के निर्णय अनुसार अग्रिम कार्यवाही किया जावेगा, जिसमें निविदा निरस्त कर जमा राशि राजसात की स्थिति भी हो सकती है ।

24 निविदा के किसी भी सुस्पष्ट भाग अथवा निविदा में संशोधन/स्थगन का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।

25 ठेकेदार संविदा के अंतर्गत संपूर्ण कार्य अथवा किसी भी भाग किसी अन्य पक्ष अथवा पक्षों का समनुदेशन अथवा उप पट्टे पर नही होगा । कार्यो को सबलेट नही किया जा सकेगा।

26 निमार्ण कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियो का निर्माण प्रारंभ करने से पूर्व शासकीय प्रयोगशाला से परीक्षण कराकर प्रमाण पत्र जमा किया जाना होगा ।

27 छत्तीसगढ कार्य विभाग के मैनुअल अनुसार एम–30 निर्माण कार्य के पूर्व एम–30 कांक्रीट मिक्स डिजाईन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा कार्य के दौरान आवश्यक मटेरियल टेस्टिंग कराया जावेगा, जिसका शुल्क ठेकेदार को वहन करना होगा।

28 विद्युतीकरण कार्य अंतर्गत समस्त कार्य निर्धारित गुणवत्तायुक्त एवं वारंटी अवधि में सुधार करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी ।

29 निर्माण कार्य का भुगतान सामग्री परीक्षण के परिणाम, मापदण्ड के अनुरूप पाये जाने के उपरांत ही किया जायेगा ।

30 ठेकेदार को पीएचई मानक के अनुरूप प्रयुक्त की जाने वाली पाईप का स्वयं के व्यव से परीक्षण कराकर परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

31 ठेकेदार को निर्माण कार्य के दौरान "निर्माण एवं अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016" में किये गये प्रावधानों का पालन किया जावेगा ।

प्रारूप अनुमोदित
04/06/26
Executive Engineer
Urban Administration & Development
(Tech. Cell) Raipur (C.G.)

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद मंदिर हसौद
जिला–रायपुर (छ.ग.)